

अपील संख्या 5/2022

अनवान

चुनाराम वगैरा बनाम तहसीलदार बागोडा

दिनांक 7-3-2022

उक्त अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव संग अभियान 2021 उपखण्ड अधिकारी बागोडा मुकाम केम्प बिजलिया मुकदमा संख्या 104/2021 में पारित आदेश एवं उक्त आदेश की पालना हेतु पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/413 दिनांक 24-11-2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थनापत्र भी पेश किया गया है। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जायें। अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांत अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांत अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांतगण को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अपीलांतगण की सहमति के बिना अपीलांतगण के खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि में से गै.मु रास्ता दर्ज करने बाबत आदेश पारित कर दिया जो विधिविरुद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोकने अथवा विकल्प में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांतगण को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

हमने अपीलांत अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का भी गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता की बहस पर भी मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश केम्प बिजलिया में पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांतगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार आदेश पारित किया गया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नहीं होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा केम्प में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-11-2021 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांतगण को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलसुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया।



*[Signature]*  
7/3/2022  
डिविजनल कमिश्नर  
जोधपुर